

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

क्रमांक : 280 /आर. /चार/ब-7/डीएमसी 2020

भोपाल दिनांक 28 मार्च 2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश भोपाल।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम दिवसों में कोषालय से आहरण की व्यवस्था ।

000

वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम कार्य दिवसों में कोषालय से आहरण के संबंध में आयुक्त, कोष एवं लेखा द्वारा देयक प्रस्तुत करने के लिए आदेश क्र०-सं.को.ले./न.को.प्र./2020/ डीटीए/पीए/01 भोपाल दिनांक 24/03/2020 द्वारा दिनांक 28.03.2020 तक की समय सीमा निर्धारित की हैं ।

2/- उपर्युक्त समय सीमा को ऐसे स्वत्वों के लिए शिथिल किया जाता है जिनके लिए वित्त विभाग द्वारा दिनांक 23.03.2020 को अथवा इसके पश्चात् की तिथियों में पुर्नविनियोजन, स्वीकृति तथा अनुमति दी गई है अर्थात् ऐसे स्वत्वों के देयक कोषालय में दिनांक 31.03.2020 तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे ।

संचालक, बजट,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पृ०क्रमांक : 281 /आर. /चार/ब-7/डीएमसी 2020

भोपाल दिनांक 28 मार्च 2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल । कृपया समस्त कोषालय/उप कोषालय अधिकारियों को उपर्युक्त अनुसार अवगत करावें ।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल